दिनांक 05.09.2023
प्रेस विज्ञप्ति 06/2023

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

आपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप जघन्य अपराधों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा

पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग व समय-समय पर दिए गए निर्देशों के क्रम में जघन्य अपराधों में लिप्त अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध वैज्ञानिक विधि से साक्ष्य संकलन एवं गुणवत्तापूर्ण विवेचनात्मक कार्यवाही करते हुए आपरेशन कन्विक्शन कार्य योजना के तहत उ0प्र0 पुलिस एवं अभियोजन विभाग द्वारा मा0 न्यायालय में संयुक्त रूप से प्रभावी पैरवी कराकर न्यूनतम समय में अधिक से अधिक सजा दिलाये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त के क्रम में प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप माननीय न्यायालय द्वारा हत्या, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट आदि जघन्य अपराधों में मुख्यतः निम्न जनपदों में अभियुक्तों को आजीवन कारावास आदि की सजा सुनाई गई है।

- **जनपद बदायूं/थाना उझानी (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद बदायूं पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बदायूं द्वारा थाना उझानी पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/363/366 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त गंगू उर्फ गंगा प्रसाद को आजीवन कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना कोतवाली सदर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को सश्रम आजीवन कारावास की सजा व 30 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना कोतवाली सदर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/201 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त मुकेश उर्फ मुक्की को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना सुबेहा (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 17 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना सुबेहा पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/506 भादवि व 4 पॉक्सो एक्ट एवं 3(2)(5) एससी/एसटी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त इमरान उर्फ भयऊ को आजीवन कारावास व 17 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद हरदोई/थाना सण्डीला (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद हरदोई पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हरदोई द्वारा थाना सण्डीला पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त राजीव कुमार को 20 वर्ष के सश्रम कारावास व 20 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद उन्नाव/थाना अजगैन (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 60 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद उन्नाव पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद उन्नाव द्वारा थाना अजगैन पर पंजीकृत अभियोग में धारा 366 भादवि व 3/4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सन्तराम को 10 वर्ष के सश्रम कारावास व 60 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद सिद्धार्थनगर/थाना उस्का बाजार (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तों को 07–07 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद सिद्धार्थनगर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद सिद्धार्थनगर द्वारा थाना उस्का बाजार पर पंजीकृत अभियोग में धारा 498ए/304बी/120बी भादवि व 4 डीपी एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त 1–जुगेश 2–हरीराम 3–अभियुक्ता को सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

जनपद कुशीनगर/थाना नेबुआ नौरंगिया

- **50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट की 01 मोटर साइकिल**
- **नगद रूपये**
- **01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.09.2023 की रात्रि थाना नेबुआ नौरंगिया, थाना कोतवाली पड़रौना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर इनरही चौराहा के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त हिमांशु उर्फ गोविन्द घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से लूट की 01 मोटर साइकिल, नगद रूपये, 01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना नेबुआ नौरंगिया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु रेन्ज स्तर से 50 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद देवरिया, गाजीपुर, मऊ, कुशीनगर के विभिन्न थानों पर हत्या, लूट, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना नेबुआ नौरंगिया पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–हिमांशु उर्फ गोविन्द निवासी मिर्जापुर काझा थाना रानीपुर जनपद मऊ।

बरामदगी

1–लूट की 01 मोटर साइकिल।

2–नगद रूपये।

3–01 अवैध पिस्टल मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद सीतापुर/थाना महोली

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 मोटर साइकिल**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.09.2023 को थाना महोली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हेमपुर क्रासिंग के निकट मोटर साइकिल सवार बदमाश की घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त उमेश घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 मोटर साइकिल, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना अटरिया पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सीतापुर के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 17 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना महोली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–उमेश निवासी ग्राम बेदौरा थाना रेउसा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1–01 मोटर साइकिल।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद फतेहपुर/थाना राधानगर

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04.09.2023 की रात्रि थाना राधानगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जखनी अंडर पास से पुलिस कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त राहुल को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना राधानगर पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध कमिश्नरेट कानपुर नगर, जनपद फतेहपुर के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना राधानगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—राहुल निवासी ग्राम अमौरा थाना मलवां जनपद फतेहपुर।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद कासगंज/थाना सोरों

- **पुलिस कार्यवाही में 07 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूटे गये 04 लाख 90 हजार रूपये नगद**
- **01 मोटर साइकिल**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 04/05.09.2023 की रात्रि थाना सोरों पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर करवा चौराहा गंगा गढ रोड पर चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश की

घेराबन्दी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त कमल घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के निशादेही अभियुक्त 2–दीपक 3–अनुज 4–विकास 5–अंकित 6–अंशुल 7–अभिषेक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूटे गये 04 लाख 90 हजार रूपये नगद, 01 मोटर साइकिल, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनॉकः 04.09.2023 को थाना सोरों क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सोरों पर धारा 392 भादवि का अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपये उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सारों पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कमल निवासी प्रहलादपुर थाना सोरों जनपद कासगंज।

2–दीपक निवासी प्रहलादपुर थाना सोरों जनपद कासगंज।

3–अनुज निवासी प्रहलादपुर थाना सोरों जनपद कासगंज।

4–विकास निवासी मोहल्ला आवास विकास थाना व जनपद कासगंज।

5–अंकित निवासी प्रहलादपुर थाना सोरों जनपद कासगंज।

6–अंशुल निवासी गंगागढ़ थाना सोरों जनपद कासगंज।

7–अभिषेक निवासी मोहल्ला आवास विकास थाना व जनपद कासगंज।

बरामदगी

1–लूटे गये 04 लाख 90 हजार रूपये नगद।

2–01 मोटर साइकिल।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद जौनपुर/थाना सरपतहां

- **15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद**

दिनांक 05.09.2023 को थाना सरपतहां पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर पुरस्कार घोषित अभियुक्त रंजीत कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद जौनपुर, गोरखपुर के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 04 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त जनपद गोरखपुर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 15 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सरपतहां पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—रंजीत कुमार निवासी समशुद्दीनपुर थाना सरपतहां जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1—01 किलो 600 ग्राम अवैध गांजा।

जनपद मथुरा/थाना गोवर्धन

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **20 सिम कार्ड**
- **04 मोबाइल फोन, 02 फर्जी पहचान पत्र**
- **01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 05.09.2023 को थाना गोवर्धन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम देवरस के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार

बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1–शब्बीर 2–जितेन्द्र घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 20 सिम कार्ड, 04 मोबाइल फोन, 02 फर्जी पहचान पत्र, 01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

इस सम्बन्ध में थाना गोवर्धन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शब्बीर निवासी ग्राम देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

2–जितेन्द्र निवासी ग्राम देवसेरस थाना गोवर्धन जनपद मथुरा।

बरामदगी

1–20 सिम कार्ड।

2–04 मोबाइल फोन, 02 फर्जी पहचान पत्र।

3–01 मोटर साइकिल(बिना नम्बर प्लेट)।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद चन्दौली/थाना सैयदराजा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **01 मोबाइल फोन**
- **1300/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 05.09.2023 को थाना सैयदराजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमानिया मार्ग पर स्थित मनराजपुर पुलिया से अभियुक्त

गोपाल उर्फ मंगरू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 01 मोबाइल फोन, 1300/–रूपये नगद बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना सैयदराजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–गोपाल उर्फ मंगरू निवासी भीषमपुर थाना चकिया जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–10 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित कारतूस।

2–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

3–01 मोबाइल फोन।

4–1300/–रूपये नगद।

जनपद शाहजहॉपुर/थाना कांट/थाना सेहरामऊ दक्षिणी

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलोग्राम अवैध अफीम (फाइन क्वालिटी)**
- **01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड**
- **1270/–रूपये नगद बरामद**

दिनॉकः 05.09.2023 को थाना कांट, थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस टीम व क्राइम ब्रान्च की टीम द्वारा सूचना के आधार पर क्रमश कुर्रिया तिराहा व बादशानगर चौराहा के पास से 02 अभियुक्तों आमीर 2–ओस्ताज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलोग्राम फाइन क्वालिटी के अवैध अफीम, 01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड, 1270/–रूपये बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना कांट व थाना सेहरामऊ दक्षिणी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आमीर निवासी मो0 ऐरोली थाना कोतवाली जनपद कासगंज।

2–ओस्ताज निवासी ग्राम तरवडी थाना लातेहार जनपद लातेहार, झारखण्ड।

<u>बरामदगी</u>

1–लगभग 04 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 04 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–01 मोबाइल फोन, आधार कार्ड।

3–1270/–रूपये।

<u>जनपद शाहजहॉपुर/थाना रोजा</u>

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम**
- **03 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन बरामद**

दिनॉकः 04.09.2023 की रात्रि थाना रोजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर जमूका अण्डर पास से 02 अभियुक्तों 1–कबीर 2–अभियुक्ता को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम, 03 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रोजा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–कबीर निवासी तरवाडी रहमतनगर थाना लातेहार जनपद लातेहार, झारखण्ड।

2–अभियुक्ता

बरामदगी

1–लगभग 02 करोड़ रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 02 किलोग्राम अवैध अफीम।

2–03 हजार रूपये नगद।

3–02 मोबाइल फोन।

जनपद चन्दौली/थाना चन्दौली

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 556 ग्राम हेरोइन**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद**

दिनॉकः 04.09.2023 की रात्रि थाना चन्दौली व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार सकलडीहा ओवर ब्रिज उत्तरी से 02 अभियुक्तों 1–सतोष उर्फ डब्लू 2–प्रवीण कुमार को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 556 ग्राम हेरोइन, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना चन्दौली पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतोष उर्फ डब्लू निवासी ग्राम चहनिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

2–प्रवीण कुमार निवासी ग्राम खण्डवारी चहनिया थाना बलुआ जनपद चन्दौली।

बरामदगी

1–लगभग 70 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 556 ग्राम हेरोइन।

2–घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

जनपद हापुड/थाना कपूरपुर

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 04.09.2023 की रात्रि को थाना कपूरपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भूडिया चौराहे के पास से 03 अभियुक्तों 1–प्रदीप 2–अमित 3–राजू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 दो पहिया वाहन बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना कपूरपुर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–प्रदीप निवासी भूडिया थाना कपूरपुर जनपद हापुड।

2–अमित निवासी भूडिया थाना कपूरपुर जनपद हापुड।

3–राजू निवासी भटोना थाना गुलावठी जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी

1–चोरी की 05 दो पहिया वाहन।

- **कमिश्नरेट गाजियाबाद (गैंगेस्टर एक्ट में लगभग 26 करोड़ रूपये कीमत की सम्पत्ति कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही)**

कमिश्नरेट गाजियाबाद पुलिस ने अभियुक्त महबूब अली द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गयी चल/अचल सम्पत्ति कीमत करीब 26 करोड़ रूपये को गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) के अन्तर्गत कुर्क/जब्तीकरण की कार्यवाही की गयी।

एस0टी0एफ0–थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2021 का वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ नाटे जनपद उज्जैन से गिफ्तार।

दिनांक 04–09–2023 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2021 धारा–302/120बी भादवि में वांछित अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ नाटे को जनपद उज्जैन से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–

दीपक सिंह उर्फ नाटे पुत्र स्व0 प्रमोद सिंह, निवासी वीरपुर, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़।

बरामदगीः–

1– 01 अदद मोबाइल फोन।

2– 720/– रूपये नगद।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः–

जय महाकाल होटल के सामने उज्जैन, दिनांक 04–09–2023, समय 18:30 बजे।

एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से फरार/पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होकर अपराध करने एवं अन्य अपराधों में लिप्त होने की सूचनायें प्राप्त हो रहीं थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयो/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था जिसके क्रम में श्री अवनीश्वर चन्द्र श्रीवास्तव, पुलिस उपाधीक्षक एस0टी0एफ0, लखनऊ के पर्यवेक्षण में एस0टी0एफ0 टीम द्वारा अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि मु0अ0सं0 125/2021 धारा–302,120बी भादवि का वांछित अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ नाटे जय महाकाल होटल के पास माजूद है यदि जल्दी की जाये तो पकडा जा सकता है। इस पर उ0नि0 पवन कुमार सिंह, मु0आरक्षी रमाशंकर चौधरी, मु0आरक्षी शैलेन्द्र उपाध्याय, मु0आरक्षी सुनील मिश्रा एवं आरक्षी सुधीर कुमार एस0टी0एफ0 उ0प्र0 की एक टीम जो

जनपद उज्जैन में अभिसूचना संकलन हेतु मामूर थी, द्वारा तत्काल प्रतिक्रिया करते हुए मुखबिर को साथ लेकर उसके बताये हुए स्थान पर पहुंच कर, मुखबिर की निशादेही पर अभियुक्त उपरोक्त को गिरफ्तार कर लिया गया जिसके पास से उपरोक्त बारामदगी हुयी।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि दि0 14–03–2015 को उसके द्वारा सुपारी लेकर रवि मौर्या पुत्र रामजनम मौर्या व संजीत सिंह पुत्र स्व0 वंशबहादुर निवासी अल्देमऊ, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ को सिरसा के पास गोली मारी थी जिसमें रवि मौर्या की मृत्यु हो गयी थी तथा संजीत सिंह घायल हो गये थे। इस घटना में उसके साथ गैंग के अन्य सदस्य भी थे। उसने अपने गैंग के साथ इस प्रकार की बहुत सी घटनाओं को अंजाम दिया गया है।

वर्ष 2015 को पुलिस मुडभेड में उसने पुलिस पर फायर किया था तथा उसके बाद फरार हो गया था। उसने अपने मित्र पीयूष सिंह पुत्र बेचन सिंह तथा धन्नजय सिंह उर्फ पण्डया पुत्र स्व0 शिवशंकर सिंह निवासीगण मिरजापुर थाना रानीपुर जनपद मऊ के साथ मिलकर सूर्यनाथ गुप्ता थाना चिरैयाकोट, जो गल्ले का व्यापारी था, जिससे हम लोगों ने 05 लाख रूपये की फिरौती की मांग की थी परन्तु सूर्यनाथ गुप्ता द्वारा फिरौती की रकम न देने के कारण हम लोगों ने उसकी भी हत्या कर दी थी। इसके अतिरिक्त हम लोगों द्वारा लूट, डकैती, हत्या जैसी कई घटनाओं को अंजाम दिया गया। वह अपराध के क्षेत्र में बडा नाम कमाना चाहता था। परन्तु उसके गैंग के लालू यादव व धमेन्द्र का एनकाउन्टर हो जाने के पश्चात वह डर गया और सूरत में लुक छिपकर रहने लगा।

गिरफ्तार अभियुक्त को थाना चिरैयापुर, जनपद मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 125/2021 धारा–302/120बी भादवि में दाखिल किया गया है। अग्रेतर कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त दीपक सिंह उर्फ नाटे का आपराधिक इतिहास–</u>

1 मु0अ0सं0 11/13 धारा 396,412 भादवि, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़

2 मु0अ0सं0 86/14 धारा 392,412, 120बी, भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

3 मु0अ0सं0 198/14 धारा 392,412 भादवि, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

4 मु0अ0सं0 315/14 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

5 मु0अ0सं0 488/14 धारा 41,411,467,468,419,420,471 भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

6 मु0अ0सं0 555/14 धारा 2/3 (1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

7 मु0अ0सं0 102/14 धारा 379, 411 भादवि थाना सराय लखन्सी, मऊ

8 मु0अ0सं0 27/15 धारा 147,148,149,307,120बी भादवि, थाना मेहनगर, आजमगढ,

9 मु0अ0सं0 263/15 धारा 147,148,149,307,302,34,120बी भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

10 मु0अ0सं0 593/15 धारा 147, 148, 149, 307,302, 34 भादवि, थाना देवगांव, जनपद आजमगढ़

11 मु0अ0सं0 509/15 धारा 386, 304, 504, 506, 120बी भादवि व 7 सीएलए एक्ट, थाना सराय लखन्सी, जनपद मऊ

12 मु0अ0सं0 488/15 धारा 356 भादवि, थाना सरायलखन्सी, जनपद मऊ

13 मु0अ0सं0 475/15 धारा 392, 411 भादवि, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ

14 मु0अ0सं0 481/15 धारा 392, 411, 120बी भादवि, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ

15 मु0अ0सं0 375/15 धारा 392, 411 भादवि, थाना मुहम्मदाबाद, जनपद मऊ

16 मु0अ0सं0 489/15 धारा 307, 353, 34 भादवि, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

17 मु0अ0सं0 490/15 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

18 मु0अ0सं0 67/15 धारा 379 भादवि, थाना मेहनगर, जनपद आजमगढ़

19 मु0अ0सं0 241/15 धारा 392, 411 भादवि, थाना मधुबन, जनपद मऊ

20 मु0अ0सं0 268/15 धारा 392, 411 भादवि, थाना मधुबन, जनपद मऊ

21 मु0अ0सं0 107/15 धारा 393 भादवि, थाना दुल्लहपुर, जनपद गाजीपुर

22 मु0अ0सं0 3/15 धारा 392, 411 भादवि, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़

23 मु0अ0सं0 78/15 धारा 302,397,394,307,120बी भादवि, थाना बडहलगज, जनपद गोरखपुर

24 मु0अ0सं0 81/15 धारा 392/411 भादवि, थाना औराई, जनपद भदोही,

25 मु0अ0सं0 480/15 धारा 147,148,149,307,386,120बी,506 भादवि, 7 सीएलए एक्ट थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

26 मु0अ0सं0 691/15 धारा 3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

27 मु0अ0सं0 125/21, धारा 302,120बी भादवि, थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

28 मु0अ0सं0 35/22 धारा–174ए भादवि थाना चिरैयाकोट, जनपद मऊ

29. मु0अ0सं0 138/2022 धारा–3(1) गैंगेस्टर एक्ट थाना चिरैयाकोट मऊ

———————